भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2134
जिसका उत्तर 9 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।
18 श्रावण, 1946 (शक)

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का कार्यान्वयन

2134. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किए जाने सहित डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इस अधिनियम का अनुपालन लागू करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) डाटा वैश्वासिक और डाटा प्रक्रमक द्वारा डाटा संरक्षण, प्रभाव आकलन, आवधिक संपरीक्षा और डाटा संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से सीमा पार डाटा हस्तांतरण किए जाने और सरकारी एजेंसियों को दी जाने वाली छूट के संबंध में, क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी मानीटरी और बालकों पर लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाए जाने सहित बालकों के वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) को 11 अगस्त, 2023 को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी । इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीपीडीपी अधिनियम के तहत नियमों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी एक्ट) के अंतर्गत डेटा फिड्यूशरीज़ के पास मौजूद अथवा उसके नियंत्रणाधीन डेटा जिसमें उसके द्वारा प्रोसेस किया जा रहा डेटा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य डेटा प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया जा रहा डेटा भी शामिल है, की सुरक्षा करने का दायित्व डेटा फिड्यूशरीज़ को सौपा गया है, जिसके लिए वह इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ-साथ उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को भी लागू करेगा। डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत प्रभाव मूल्यांकन करना, आवधिक रूप से लेखा परीक्षा करना और डेटा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना आदि अतिरिक्त दायित्व केवल सिगनिफिकेन्ट डेटा फिड्यूशरीज़ को डाला गया है।

डीपीडीपी अधिनियम में किसी भी तरह के व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन या इस कानून के किसी अन्य प्रकार के उल्लंघन के लिए डेटा फ़िड्यूशरीज़ को जवाबदेह माना गया है। डेटा फ़िड्यूशरीज़ की जवाबदेही, डेटा उल्लंघन और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित अधिनिर्णय द्वारा और डेटा संरक्षण बोर्ड द्वारा वित्तीय जुर्माना लगाकर सुनिश्चित की जाती है।

डीपीडीपी अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत से बाहर किसी अन्य देश में या भूभाग में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए डेटा फिड्यूशरी द्वारा व्यक्तिगत डेटा को हस्तांतरित किए जाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा, डेटा फिड्यूशरीज़ डेटा ट्रांसफर पर उच्चतर संरक्षण ऐसे किसी नियम या प्रतिबंध का भी अनुपालन करेंगे जो किसी अन्य कानून के तहत लागू हो सकता है।

डीपीडीपी अधिनियम, डेटा फ़िड्यूशरीज़ को केवल माता-पिता की सहमति से बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की अनुमति देता है। यह ऐसे व्यक्तिगत डेटा के संसाधन की अनुमति नहीं देता है जो बच्चों के लिए अहितकारी हो या उसमें उनकी ट्रैकिंग करने, उनके व्यवहार पर निगरानी रखने या उन्हें लक्षय बनाकर किया गया हो। लेकिन, बच्चों के हित में, कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए या डेटा फिड्यूशरीज़ की श्रेणियों के लिए माता-पिता की सहमति प्राप्त करने या ट्रैकिंग, व्यवहार निगरानी या लक्षित प्रयोजनों के लिए संसाधन से छूट दी जा सकती है।

*****